

मध्य प्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

क्र F 9-7 | 2016 | नियम | चार भोपाल, दिनांक 4 जुलाई, 2016  
प्रति,

समस्त जिलाध्यक्ष,  
मध्यप्रदेश


विषय:- पेंशनरों के "जीवन प्रमाणपत्र" के संबंध में।

संदर्भ:- भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग का अर्धशासकीय पत्र क्र.1/20/2016 P&PW(E), दिनांक 24 जून, 2016.

कृपया उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 24 जून, 2016 का अवलोकन करें। भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि पत्र में उल्लेखित शेड्यूल अनुसार दिसंबर, 2016 तक प्रत्येक माह एक केम्प आयोजित कर पेंशनरों को "जीवन प्रमाण" के माध्यम से "डिजिटल प्रमाण पत्र" से प्राप्त होनेवाले लाभ के संबंध में अवगत कराया जाये।

2. आपसे अनुरोध है कि पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स के खाते आधार से लिंक कराने एवं "डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करने संबंधी समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करें।

संलग्न:- भारत सरकार, पेंशन  
मंत्रालय का पत्र  
दिनांक 24 जून, 2016

  
(अनिरुद्ध मुकर्जी)  
सचिव,

म.प्र.शासन, वित्त विभाग

क्र F 9-7 | 2016 | नियम | चार भोपाल, दिनांक 4 जुलाई, 2016  
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संचालनालय, कोष एवं लेखा, भोपाल।
2. संचालक, पेंशन, किसान भवन, मंडी बोर्ड, भोपाल

/

(अनिरुद्ध मुकर्जी)  
सचिव,

म.प्र.शासन, वित्त विभाग

मध्य प्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

क्र F 9-7/2016/नियम/चट भोपाल, दिनांक जुलाई, 2016  
प्रति,

समस्त जिलाध्यक्ष,  
मध्यप्रदेश

विषय:- पेंशनरों के "जीवन प्रमाणपत्र" के संबंध में।

संदर्भ:-भारत सरकार,कार्मिक,लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग का अर्धशासकीय पत्र क्र.1/20/2016 P&PW(E),दिनांक 24 जून,2016.

कृपया उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 24 जून,2016 का अवलोकन करें। भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि पत्र में उल्लेखित शेड्यूल अनुसार दिसंबर,2016 तक प्रत्येक माह एक केम्प आयोजित कर पेंशनरों को "जीवन प्रमाण" के माध्यम से "डिजिटल प्रमाण पत्र" से प्राप्त होनेवाले लाभ के संबंध में अवगत कराया जाये।

2. आपसे अनुरोध है कि पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स के खाते आधार से लिंक कराने एवं "डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करने संबंधी समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करें।

संलग्न:-भारत सरकार,पेंशन  
मंत्रालय का पत्र  
दिनांक 24 जून,2016

(अनिरुद्ध मुकजी)

सचिव,  
म.प्र.शासन,वित्त विभाग

क्र F 9-7/2016/नियम/चट  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई,2016

1. आयुक्त, संचालनालय,कोष एवं लेखा,भोपाल।
2. संचालक,पेंशन,किसान भवन,मंडी बोर्ड,भोपाल

  
(अनिरुद्ध मुकजी)  
सचिव,  
म.प्र.शासन,वित्त विभाग